



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



9 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 45 राँची, सोमवार,

29 जनवरी, 2024 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

29 जनवरी, 2024

संख्या-1/ब०-02-06/22/क 04-- सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका (संशोधन) राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा राज्य के ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-06 -सहपठित ज्ञापांक-672, दिनांक-28.03.2023 के माध्यम से सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका अधिसूचित है। उक्त मार्गदर्शिका के क्रियान्वयन के क्रम में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए मार्गदर्शिका को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका में निहित निम्नवत कंडिकाओं का संशोधन एवं प्रतिस्थापन किया जाता है:-

1. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-17(ग) का प्रतिस्थापन:-

“कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 05 (पाँच) एवं अधिकतम 08 (आठ) होगी। सदस्यों के निर्वाचन में खेलकूद, युवाकार्य, कला-संस्कृति, विकास कार्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निर्वाची सभा सर्वसम्मति से अधिकतम तीन (3) विशेषज्ञ/जानकार या विशिष्ट अभिरूचि रखने वाले युवाओं को कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनयन भी कर सकती है।

2. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-17 में 17(च) के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

“पर्यवेक्षक पदाधिकारी - ग्राम स्तर पर पंचायत सेवक, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला खेल पदाधिकारी सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के पर्यवेक्षक पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। पर्यवेक्षक पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। संबंधित स्तर के सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब के सचिव इस हेतु सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।”

3. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-18 में 18(प्प)(घ) के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

“ प्रत्येक स्तर के सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब में सचिव ही कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। क्लब के सभी अभिलेख सचिव के संरक्षण में कार्यालय में सुरक्षित रहेंगे। जिला खेल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/क्लब के सचिव के पूर्व अनुमति से कोई भी सदस्य/ सरकारी अधिकारी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है।”

4. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-18 में 18(प्ट) के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

कोषाध्यक्ष के अधिकार -

- (क) संस्था की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना, तथा अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
- (ख) आकस्मिक व्यय की स्थिति में अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय करना।
- (ग) अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के बैंक खाता का संचालन करना।
- (घ) प्राप्त राशि का नियमानुसार व्यय संबंधित लेखा-जोखा रखना।

5. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-19 में 19(क)(अपप) के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

“क्लब के रजिस्ट्रेशन में लगने वाले शुल्क हेतु पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों को सिद्धो-कान्हू

क्लब, कमल क्लब एवं हॉकी एवं फुटबॉल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय) मद से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।”

6. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका के कंडिका संख्या-19 में 19(ख) के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

“ राशि के सदुपयोग, खर्च की मितव्ययिता, नियमों का पालन एवं क्लब के सुचारु रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष एवं सचिव जिम्मेवार होंगे ।”

7. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका में कंडिका संख्या-23 के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

कंडिका संख्या- 23- संस्था के विधान में संशोधन

“ क्लब/संस्था के विधान में संशोधन कार्यकारिणी निकाय की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित होगा। यह संशोधन विभाग से अनुमोदन होने पर ही लागू होगा।”

8. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका में कंडिका संख्या-24 के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

कंडिका संख्या- 24- संस्था का विघटन

“ संस्था/क्लब का विघटन विभाग के आदेश से ही होगा। संस्था/ क्लब के बैठक में 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर संस्था/क्लब का विघटन हेतु जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इस हेतु एक स्तर उपर के पर्यवेक्षक पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। बैठक की उपस्थिति का कोरम सभी सदस्यों का 3/4 होनी चाहिए एवं उपस्थित सदस्यों में 2/3 सदस्यों की सहमति पर विघटन होगी। विघटन की सूचना संबंधित पर्यवेक्षक पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित को दी जाएगी। तत्संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा उचित प्रक्रिया द्वारा शीघ्र नये सिरे से चुनाव हेतु खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय से आग्रह किया जाएगा। ”

9. सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका में कंडिका संख्या-25 के रूप में नई कंडिका समाहित की जाती है जो निम्नवत् होगी:-

कंडिका संख्या- 25- संस्था का कार्यालय

(क) ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवालय अथवा अन्य सरकारी भवन में (पंचायत सेवक द्वारा प्रस्तावित एवं संबंधित भवन के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित)।

(ख) प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आवंटित प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम या प्रखण्ड/अंचल कार्यालय में कमरा ।

(ग) जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा आवंटित जिला स्तरीय स्टेडियम या समाहरणालय में कमरा का उपयोग संस्था/क्लब द्वारा कार्यालय के रूप में किया जा सकेगा ।

10. विभागीय अधिसूचना संख्या-06 -सहपठित ज्ञापांक-672, दिनांक-28.03.2023 के माध्यम से अधिसूचित सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब गठन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका को केवल इस हद तक संशोधित किया जाता है। उक्त अधिसूचना की अन्य सभी कंडिकाएँ यथावत रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
